

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-17/एफ 1-22/2023-

पटना, दिनांक:- / /2026

विभागीय आदेश संख्या-26(17) दिनांक-08.01.2024 द्वारा गठित जाँच समिति द्वारा आई० के० कॉलेज ऑफ फार्मसी, ग्राम-मेहनौर, पो०-तुंगी, थाना-दीपनगर, जिला-नालन्दा, पिन कोड-803101 को डी० फार्म० पाठ्यक्रम के 60 सीटों एवं बी० फार्म पाठ्यक्रम के 100 सीटों पर पाठ्यक्रम संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के निमित्त संस्थान की जाँच कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें जाँच समिति द्वारा कुछ कमियाँ पायी गयी है। उक्त संस्थान द्वारा दिनांक-06.08.2026 को विभाग में अभ्यावेदन समर्पित कर कहा गया है कि उक्त कमियाँ संस्थान द्वारा पूरी कर ली गयी है। अतः जाँच प्रतिवेदन में अंकित की गयी कमियों को संस्थान द्वारा दूर किया गया है अथवा नहीं एवं संस्थान की भौतिक जाँच पुनः निम्नवत् जाँच टीम गठित की जाती है :-

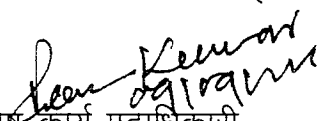
1. डा० प्रणय राज शरण सिन्हा, — अध्यक्ष
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।
2. डा० समीर कुमार, — सदस्य
प्राध्यापक, फार्माकोलॉजी विभाग,
भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा
3. जिला पदाधिकारी, — सदस्य
नालन्दा द्वारा नामित प्रतिनिधि।

मामला अवमाननावाद से आच्छादित है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना में शीघ्र ही सुनवाई निर्धारित है। अतः समिति को निदेशित किया जाता है कि उक्त संस्थान की जाँच कर जाँच प्रतिवेदन शीघ्र समर्पित करने के साथ-साथ संस्थान के सभी कमरों, संस्थान में उपलब्ध संसाधन/ उपकरण फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप है अथवा नहीं, की विडियोग्राफी कराते हुए उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/-
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी
—सह—
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-17/एफ 1-22/2023- 1134(17) पटना, दिनांक :- 09/09/2026

- प्रतिलिपि :- समिति के अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, नालन्दा से अनुरोध है कि किसी वरीय पदाधिकारी को जाँच समिति के सदस्य के रूप में अविलंब मनोनीत करने की कृपा की जाय।
- प्रतिलिपि :- सचिव, सोहगिया जन सेवा संस्थान, ग्राम-मेहनौर, पो०-तुंगी, थाना- दीपनगर, जिला-नालन्दा, पिन कोड-803101 को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी
—सह—
संयुक्त सचिव।